भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5186

24.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

एसीसी-पीएलआई के तहत लाभार्थी

5186. **श्रीमती महुआ मोइत्रा:**

श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्नत रसायन सेल-उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना (एसीसी-पीएलआई) के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों में से किसी को भी बैटरी विनिर्माण का कोई अनुभव नहीं था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रदान की गई बैटरी विनिर्माण क्षमता का ब्यौरा क्या है और चयनित लाभार्थियों द्वारा बैटरी विनिर्माण सुविधाओं को आरंभ करने के संबंध में लाभार्थी-वार क्या प्रगति हुई है; और

(ग) प्रोत्साहन के लक्षित संवितरण की तुलना में वास्तविक संवितरण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) एवं (ख): भारी उद्योग मंत्रालय "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" नामक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) का संचालन कर रहा है, जिसे मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 50 गीगावॉट घंटा की घरेलू उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

50 गीगावाट घंटे की कुल लक्षित क्षमता में से 40 गीगावाट घंटे चार लाभार्थी फर्मों को आवंटित किए गए हैं। आवंटित क्षमता और वर्तमान में संस्थापित वास्तविक क्षमता का लाभार्थी फर्म-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी फर्म**	**आवंटित क्षमता (गीगावाट घंटा में)**	**संस्थापित क्षमता (गीगावाट घंटा में)**
1.	एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	5	0
2.	ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	20	1
3.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड	5	0
4.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड	10	0
	कुल	**40**	**1**

उन्नत रसायन सेल (एसीसी) का विनिर्माण एक अत्यंत विशिष्ट, उन्नत और उभरती हुई प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है।

(ग): पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि संवितरित नहीं की गई है।

******